व्यावसायिक परीक्षा परिषद, उ0प्र0,
राजकीय आई0टी0आई0 परिसर, अलीगंज, लखनऊ
निविदा संख्या–05/एस0टी0–005/2014 लखनऊः दिनांक 15 फरवरी, 2014

निविदा सूचना

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं संयुक्त निदेशक कार्यालयों हेतु कम्प्यूटर आपरेटरों के पदों पर आउट सोर्सिंग के माध्यम से भर्ती हेतु सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदाकर्ता को कम से कम 03 (तीन) वर्षो का राजकीय विभागों का समान प्रकृति का अनुभव एवं इण्डियन कम्पनीज एक्ट 1956 में पंजीकृत होना आवश्यक है। निविदा की अन्य शर्ते, विवरण, धरोहर धनराशि एवं अन्य सम्बन्धित विवरण निविदा प्रपत्र में अंकित है। निविदा के विवरण निम्नवत है, जो कि विभागीय वेबसाइट www.vppup.in पर भी उपलब्ध है।

1– टेण्डर प्रपत्र शुल्क रू0 1,450.00

2– टेण्डर बिक्री की अवधि दिनांक **16–2–2014 से 24–2–03–2014 मध्यान्ह 12.00 बजे** तक निर्धारित है।

2– पूर्ण रूप से भरे गये एवं वांछित अभिलेखों के साथ टेण्डर फार्म को जमा करने की **तिथि 24–2–2014 को अपरान्ह 3.00 बजे** तक है।

3– निविदा खोलने की तिथि उपस्थित एवं इच्छुक निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में **दिनांक 24–2–2014 को सायं 4.00 बजे।**

4– टेण्डर फार्म विभाग की वेबसाइट www.vppup.in पर भी डाउनलोड किए जा सकते है। और टेण्डर फार्म की लागत अर्थ रू0 1,450.00 (रू0 एक हजार चार सौ पचास मात्र) बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट जो ''निदेशक,व्यावसायिक परीक्षा परिषद के नाम से '' लखनऊ में देय'' हो भेजे जायें अथवा कार्यालय में नक्द जमा किये जा सकते है। अधोहस्ताक्षरी को किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15-2-14

निदेशक

टेण्डर फीस रू0 1450/— भाग—1

व्यावसायिक परीक्षा परिषद,उ0प्र0,
परिसर—राजकीय आई0टी0आई0, अलीगंज लखनऊ।
अल्प अवधि टेण्डर संख्या 05/वीपीपी/एस0टी0—005/लेखन सामाग्री /2014
लखनऊ : दिनांक 14-2-2014

तकनीकी निविदा प्रपत्र

क्रम संख्या	सन्दर्भ	पृश्ठ—संख्या (संलग्नक)
1.	अर्नेस्ट मनी—एफ.डी.आर	
2	फर्म/संस्था का नाम	
3.	संस्था का पंजीकृत पता तथा टेलीफोन नम्बर	
4	पत्राचार का पता तथा टेलीफोन नम्बर	
5	रजिस्टार ऑफ कम्पनीज मे संस्था का रजिस्ट्रेशन नम्बर (मैमोरेडम ऑफ आर्टीकल्स—संलग्न करें)	
6	कान्ट्रैक्ट लेबर रजिस्ट्रेशन—राज्य/केन्द्र	
7.	संस्था का लेबर रजिस्ट्रेशन नम्बर	
8	संस्था का सर्विस टैक्स नम्बर	
9	आयकर/पैन न. पंजीकरण संख्या	
10	टैन न. पंजीकरण संख्या	
11	ई.पी.एफ. पंजीकरण संख्या	
12..	ई.एस.आई.सी पंजीकरण संख्या	
13	आई.टी.आर. 2010—11, 2011—12, 2012—13	
14	बैलन्स शीट 2010—11, 2011—12,2012—13	
15	अन्य शासकीय विभाग को सुविधा उपलब्ध करा रही है।(विभाग द्वारा दिये गये आदेशों की प्रतियां संलग्न करें)—हॉ/नहीं	
16	सरकारी विभाग के साथ कार्य का अनुभव का प्रमाण— हॉ/नहीं	

17	संस्था द्वारा दिए गए शपथ पत्र– हॉ / नहीं	
18	आई.एस.ओ.प्रमाण पत्र हॉ / नहीं	
19	कुल संलग्नक प्रपत्रों की संख्या	

निविदादाता के हस्ताक्षर

मोहर सहित

अनुमोदित

(निदेशक)

व्यावसायिक परीक्षा परिषद,उ0प्र0,
परिसर–राजकीय आई0टी0आई0, अलीगंज लखनऊ।
अल्प अवधि टेण्डर संख्या 05 / वीपीपी / एस0टी0–005 / लेखन सामाग्री / 2014
लखनऊ : दिनांक 14-2- 2014

वित्तीय निविदा प्रपत्र

संयुक्त निदेशकों, राजकीय आई0टी0आई0, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय एवं व्यावसायिक परीक्षा परिषद, अलीगंज लखनऊ, कार्यालय हेतु वाहय माध्यम से लिए जाने वाले जन–शक्ति के लिए

1. **सेवा प्रदाता फर्म / एजेन्सी / कम्पनी का नाम**

____

____

निम्नांकित सर्विस चार्ज कार्मिकों को पारिश्रमिक तथा नियमानुसार देय सर्विस टैक्स के रूप में दिए जाने वाली धनराशि के अतिरिक्त नहीं होगा।
सेवा प्रदाता द्वारा लिए जाने वाले सेवा शुल्क अंकों के साथ–साथ शब्दों में भी दिया जाना अनिवार्य हैं। सेवा शुल्क में किसी प्रकार का टैक्स सम्मिलित नहीं होगा।

सेवा शुल्क–... (प्रतिशत अंको में)
सेवा शुल्क–... (प्रतिशत शब्दों में)

दिनांक

निविदादाता के हस्ताक्षर

मोहर सहित

अनुमोदित

(निदेशक)

नियम एवं भार्ते

शर्ते:–

1. आवश्यकतानुसार पदों की संख्या घटाई / बढ़ायी जा सकती है।
2. अपूर्ण अथवा निविदादाता द्वारा सशर्त डाली गयी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. बिना धरोहर राशि के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. अस्पष्ट / अनावश्यक / अपठनीय निविदा को निरस्त करने का अधिकार निदेशक, व्यावसायिक परीक्षा परिषद उ.प्र. लखनऊ के पास सुरक्षित रहेगा।
5. सेवा प्रदाता द्वारा लिए जाने वाले न्यूनतम सेवा शुल्क जो कि वित्तीय निविदा प्रपत्र के कॉलम में अंकित की जायेगी के आधार पर सेवा प्रदाता का चयन किया जायेगां चयनित सेवा प्रदाता को स्वीकृत किये जाने के उपरान्त निदेशक, व्यावसायिक परीक्षा परिषद उ.प्र. लखनऊ एवं चयनित सेवा प्रदाता के मध्य द्विपक्षीय अनुबन्ध किया जायेगा। इस हेतु सर्विस प्रोवाइडर को नियमानुसार स्टैम्प पेपर प्रस्तुत करना होगां दर स्वीकृति के उपरान्त अनुबन्ध की कार्यवाही 15 दिवस में पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगीं ।
6. ई.पी.एफ ई.एस.आई. सर्विस टैक्स एवं अन्य राजकीय देयता इत्यादि को जमा करने की जिम्मेदारी पूर्णतः निविदादाता की होगी एवं इस हेतु निविदादाता को ही प्रिन्सिपल इम्प्लॉयर माना जायेगा। सर्विस टैक्स व ई.पी.एफ, ई.एस.आई जमा करने के पश्चात कार्यालय में जमा चालान की सत्यापित प्रति का सत्यापित लेखा प्रस्तुत करने के उपरान्त ही व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
7. समस्त निविदादाताओं को तकनीकी निविदा के साथ रू. 75,000.00 परफॉरमेन्स सिक्योरिटी (Performance Security) बैंक गारन्टी / एफ.डी.आर / एन.एस.सी के रूप के संलग्न करना होगा, जो निदेशक व्यावसायिक परीक्षा परिषद उ.प्र. लखनऊ के नाम बन्धक होनी चाहिए तथा जिसकी वैधता अनुबन्ध की तिथि से न्यूनतम 01 वर्ष हो। सफल निविदादाताओं को उक्त धनराशि अनुबन्ध की अवधि पूर्ण होने के तीन माह बाद वापस की जायेगी। असफल निविदादाताओं को उक्त धनराशि निविदा कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त वापस कर दी जायेगी।
8. किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निदेशक, व्यावसायिक परीक्षा परिषद उ.प्र. लखनऊ के पास सुरक्षित रहेगा। यदि किसी भी समय, किसी भी स्तर पर कोई गलती / कमी प्रकाश में आती है। या कोई टेक्निकल / वित्तीय कमी सामने आती है तो परिषद को अधिकार होगा कि न्यूनतम निविदादाता को निरस्त करके द्वितीय–न्यूनतम निविदादाता को टेण्डर आवंटित कर दे।
9. अनुबन्ध की अवधि सामान्यतः 01 वर्ष की होगी। आवश्यकता न होने अथवा अनुबन्ध की शर्तो का पालन न करने पर निदेशक,व्यावसायिक परीक्षा परिषद उ.प्र. लखनऊ द्वारा 30 दिवस की नोटिस पर अनुबन्ध कभी भी समाप्त किया जा सकता है। परस्पर सहमति से कार्य सन्तोषजनक होने पर अनुबन्ध का विस्तार किया जा सकता है।
10. अनुबन्धित दरें / शर्ते समय समय पर जारी शासनादेशानुसार परिवर्तित की जा सकेंगी।
11. उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मी विभाग के पे –रोल पर नहीं माने जायेंगे एवं भविष्य में किसी भी तरह के विवाद / कोर्ट केस की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आउटसोर्सिंग / एजेन्सी / सेवा प्रदाता की ही होगी। उन कर्मियों का विभाग में सेवा पाने के लिये किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
12. आर्बीट्रेशन की स्थिति में निदेशक, व्यावसायिक परीक्षा परिषद उ.प्र. लखनऊ का निर्णय अन्तिम होगा।
13. समस्त निविदा दाताओं को तकनीकि निविदा के साथ रू. 35,000.00 (रू. पैतिस हजार मात्र) अर्नेस्ट मनी निदेशक,व्यावसायिक परीक्षा परिषद उ.प्र. लखनऊ के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा डी. डी / एफ.डी.आर.के रूप में देनी होगी। अर्नेस्ट मनी की धनराशि रिफण्डेबल अर्थात वापसी योग्य होगी।
14. अवकाश व कार्यालय समय के उपरान्त भी आवश्यकता पड़ने पर कर्मिकों की सेवायें उपलब्ध कराना होगा। इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

15. न्यूनतम वेतन श्रम विभाग द्वारा जारी दरों पर (नवीनतम मजदूरी अधिनियम 1948) पर आधारित होना चाहिए व किसी भी स्थिति में इससे कम नहीं होना चाहिए।
16. न्यूनतम दर वाले निविदादाता फर्म का कार्य आंवटित किये जाने के लिये निदेशक,व्यावसायिक परीक्षा परिषद उ.प्र. लखनऊ बाध्य नहीं है।
17. सफल निविदादाता फर्म को कर्मिकों की सेवायें कार्य संविदा के अनुबन्ध के आधार पर निर्धारित मानदेय पर प्रदेश के **05 संयुक्त निदेशक, 75 आई0टी0आई0, 05 प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, 10 व्यावसायिक परीक्षा परिषद को कम्प्यूटर आपरेटर तथा 3 कम्प्यूटर प्रोग्रामर उपलब्ध कराये जाने होगें।**
18. उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के कार्य, व्यवहार एवं आचारण के लिये फर्म पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
19. कर्मियों की योग्यता शासन द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुरूप होनी चाहिए। उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मियों की योग्यता के परीक्षण का अधिकार निदेशक,व्यावसायिक परीक्षा परिषद अलीगंज, लखनऊ को होगा।
20. कर्मिकों द्वारा सम्बद्ध किये गये कार्यालय को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाये जाने की दशा में विधिक कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का होगा।
21. राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी संस्था एवं निविदादाता के मध्य कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन अथवा लम्बित नहीं होना चाहिए। यदि इस सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा कोई आदेश/निर्णय किया गया है, तो उसकी प्रति लगाई जाये। किसी प्रकार के वाद का क्षेत्र लखनऊ का होगा। फर्म द्वारा इस सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
22. सम्बन्धित कार्मिकों को निर्धारित कार्यालय समय में सम्बद्ध किये गये कार्यालय में उपस्थित रहना होगा। सामान्यतः सार्वजनिक अवकाशों व अन्य राजपत्रित अवकाशों में कर्मिकों को अवकाश उपभोग करने की छूट रहेगी, किन्तु अपरिहार्य कारणवश यदि राजपत्रित अवकाश व सार्वजनिक अवकाश दिवसों में उनकी सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें कार्यालय मे उपस्थित होना पड़ेगा जिसके लिये अलग से कोई पारिश्रमिक देय नहीं होगा।
23. सेवा प्रदाता द्वारा एकाउण्ट पेई चेक द्वारा कर्मिकों को भुगतान किया जाना होगा।
24. सेवा प्रदाता की अवैधानिक रूप से कर्मी के मानदेय से किसी प्रकार का कटौती का अधिकार नहीं होगा।
25. कार्मिकों द्वारा कार्य दिवसों में अवकाश लिये जाने पर संस्थान द्वारा मांगे जाने पर फर्म द्वारा प्रतिस्थानी उपलब्ध कराया जायेगा।
26. सम्बद्ध कार्यालयों के अधिकारियों को असन्तोषजनक कार्य की शिकायत प्राप्त होने पर अथवा कार्मिकों द्वारा किसी प्रकार की क्षति पहुंचाये जाने पर संगत धनराशि की कटौती फर्म को देय भुगतान अथवा परफॉर्मेन्सस सिक्योरिटी मनी से की जायेगी।
27. चयनित निविदादाता को जमानत धनराशि रू. 1.00 लाख का एफ.डी.आर. जो कि निदेशक, व्यावसायिक परीक्षा परिषद उ.प्र. लखनऊ के नाम बंधक होगी। निविदादाता एवं निदेशक,व्यावसायिक परीक्षा परिषद अलीगंज, लखनऊ मध्य रू. 100/- स्टॉम्प पेपर निर्धारित शर्तो एवं दरों के आधार पर अनुबंध हस्ताक्षर करने होंगे।
28. निविदा प्रपत्र अहस्तारणीय (Non Transferable) होगा अर्थात निविदा फार्म केवल केता द्वारा ही उपयोग में लाया जा सकेगा।
29.

सेवा सुरक्षा की न्यूनतम अनिवार्यताः—

1. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के विरूद्ध कोई प्रतिकूल पुलिस रिकार्ड एवं आपराधिक मामला दर्ज न हो। सम्बन्धित सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित व्यक्ति जिसको सेवायोजित किया जाना है की पूर्ण जांच कर उसके पूर्ववृत्त एवं चरित्र को प्रमाणित करना होगा।

2. वर्तमान मे कार्यालय हेतु कुल ..90........................ कर्मिकों की आवश्यकता होगी, जो समय समय पर परिवर्तित हो सकती है जिसकी सूचना से यथा समय चयनित सेवा प्रदाता एजेनसी को अवगत करा दिया जाएगा।
3. निविदा की न्यूनतम अवधि 12 माह होगी जिसे सेवा प्रदाता एजेन्सी की संतोषजनक कार्यप्रणाली के दृष्टिगत दोनो पक्षों की आपसी सहमति तथा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से परिवर्तित किया जा सकता है।
4. सेवा प्रदाता एजेन्सी को निविदा स्वीकार किए जाने के 30 दिनो के अन्दर कार्मिकों को आपूर्ति सुनिश्चत करना अनिवार्य होगा।

<u>निविदादाता की योग्यता/अर्हता</u>

1. सेवा प्रदाता एजेन्सी इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत न्यूनतम तीन वर्ष पूर्व से पंजीकृत हो साथ ही सरकारी विभागों के अन्तर्गत कार्य करने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
2. सेवा प्रदाता एजेन्सी का टर्न ओवर विगत वित्तीय वर्ष में न्यूनतम रू. 3.00 करोड का होना चाहिए जिसमें 75 प्रतिशत वेतन के रूप में वितरण किया हो। जिसके प्रमाण के लिए वित्तीय वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–2013 की बैलन शीट एवं आई.टी.आर संलग्न करना अनिवार्य है।
3. सेवा प्रदाता एजेन्सी आयकर, सेवाकर श्रम विभाग, ई.पी.एफ ई.एस.आई अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम तीन वर्ष पूर्व से पंजीकृत होना चाहिएं उक्त समस्त **<u>पत्राजातों</u>** की मूल प्रतियां आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत करनी होगी।
4. सेवा प्रदाता एजेन्सी को इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि एजेन्सी किसी सरकारी विभाग अथवा निकाय/ निगम द्वारा काली सूची अथवा अपंजीकृत की सूची में शामिल नहीं की गयी है।
5. सेवा प्रदाता एजेन्सी सेवाकर एवं श्रम विभाग के अन्तर्गत " मैन पावर सप्लाई" कम्पनी के रूप में पंजीकृत होनी चाहिए।
6. आई.एस.ओ. प्रभाणीकृत सेवा प्रदाता एजेन्सी को वरीयता दी जायेगी।
7. सेवा प्रदाता एजेन्सी ने प्रदेश के अन्य जिलों में भी मैन पावर सप्लाई की हो (सूची संलग्न करें)
8. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा गत वर्ष (2012–13) में कम से कम रू. 30 लाख सर्विस टैक्स जमा किया हो (रिर्टन की प्रति संलग्न की जाय)।

सेवा प्रदाता को ऊपर दिये गये विवरणों को पूरा करना होगा और न करने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

अनुमोदित

(निदेशक,)